2015/71

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
~~11/2/2020~~	~~पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/2/2020 को पेश हो।~~	
~~17/2/2020~~ TSB 17/2/2020	~~पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। अपीलांट के अधिवक्ता व्यस्त होने से समय चाहा। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 3/3/2020 को पेश हो।~~	
3/3/2020 TSBhati 3/3/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट तथा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। मामले में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 18/3/2020 को पेश हो। अपीलांट प्रा-पत्र अंतर्गत O39 R07 सपठित 151 CPC संलग्न पेश किया। आवेदन O1 R10 CPC प्रार्थी या इनके अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित।	
18/3/2020	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए अपील मीमो में प्रकट तथ्यों की पुनरावृत्ति की तथा बताया कि ग्राम हरि सागर में अपीलांट की खातेदारी की जमीन खेत क.नं० 1199/3, 1388/3, 1411/2820 रकबा 66.14 बीघा, ग्राम मोतीसागर के क.नं० 1201/3, 1202/3, 1233/3 रकबा 28.05 बीघा आई हुई है। उपरोक्त मूल खसरा नंबरान की जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के सभी भाईयों के नाम बहुत हिस्सा अंकित करते हुए अलग अलग जमाबंदी नकल तैयार कर जारी की गई है। राजस्व नक्शा वर्तमान में सभी का अभी तक संयुक्त है। यह कि बाद पत्र के साथ राजस्व नक्शे की प्रतियां पेश है जिसमें ख.नं० 1199 के किनारे हुए पश्चिमी तरफ रास्ते को दर्शाया गया है। राजस्व नक्शे में ख.नं० 1411/2820 पश्चिमी तरफ रास्ते को दर्शाया गया है जिसमें वर्तमान में डामर सड़क बन चुकी है। दोनो रास्ते आगे जाकर समेकित हो जाते है। P.T.O	

नम्बर व तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.3.2020		

वर्तमान राजस्व नक्शे की हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश के दौरान तैयार नक्शे की छायाप्रतियां प्रस्तुत हैं जिनमे मौके की स्थिति का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण है। नक्शे में लाल स्याही से मार्क भाग पर वर्तमान में ख० नं० 1333 का कटाणी रास्ता चल रहा है। वर्तमान में जो संलग्न नक्शा में दर्शाये गए रास्ते को छोड़कर गलत व गैरकानूनी रूप से प्रतिवादीगण बदनीयतीपूर्ण आशय की पूर्ति हेतु उसको छोड़कर वादी की खातेदारी की जमीन ख० नं० 1388/3 की जमीन से होकर रास्ता निकालने को आमादा हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा उपलब्ध कराई गई साक्ष्य से उनके द्वारा प्रायोजित व्यवस्था के जरिये कटाणी रास्ते से हटकर नया रास्ता बनाकर उस पर सड़क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा मनरेगा में नियुक्त श्रमिकों द्वारा गलत एवं गैरकानूनी रूप से जिस जगह पर पूर्व से भी रास्ते एवं सड़कें विद्यमान होते हुए विवाद उत्पन्न करने की नीयत से उपलब्ध कार्य करवाया जा रहा है जो रास्ते की जमीन से हटकर कार्य करवाया जा रहा है जो प्रतिवादीगण की बदनीयती का द्योतक है। यह है कि प्रतिवादीगण के गैरकानूनी कृत्य को कानूनन जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री के जरिये रोका जाना अत्यंत आवश्यक है; बिना जांच रिकॉर्ड नक्शा के ऐसा किया जाना विधिसम्मत नहीं है। सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में अपीलांट के पक्ष में सुविधा सन्तुलन, प्रथम दृष्टया एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु साबित हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर एकतरफा आदेश दि. 22.7.2015 रद्द एवं निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोंडेंट राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश किसी भी प्रकार से गैरकानूनी नहीं है। अपीलांट स्वयं अपने अपील मीमो में स्वीकार करते हैं कि रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शों के आधार पर मौका जांच कर रेस्पोंडेंट को कार्यवाही करनी चाहिए। रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट की मंशा के अनुरूप ही अस्थाई निषेधाज्ञा में सीमाज्ञान व जरीब खींचने की इजाजत दी जावे। तहसीलदार बालोतरा (Resp. No. 2) के द्वारा आवेदन पर ही आवश्यक इजाजत दी गई है जो कतई गलत एवं गैरकानूनी नहीं है। लिहाजा अपील अपीलांट अस्वीकार करने योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश रेस्पोंडेंट के आवेदन पर ही एकपक्षीय सुनवाई कर पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की पालना में वादग्रस्त भूमियों के सीमाज्ञान की कार्यवाही होना अपीलांट की मंशा के अनुरूप लाजमी भी है परन्तु उसे बिना सुने और बिना कोई सूचना दिये जो आदेश पारित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना के लिहाज से विधि-विरुद्ध ठहरता है। [initials]

P.T.O.

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

....बनाम...

किस्म मुकदमा........... आर.टी.एक्ट न. .... सन् ....

ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पर दिनांक 10.7.15 की आदेशिका से स्पष्ट होता है कि रेस्पोन्डेन्ट (अप्रार्थीगण) के विरुद्ध एवं प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश इस आशय का जारी किया गया है कि अपीलार्थी (प्रार्थी) के अपील में वर्णित दोनों ग्रामों के विवादित भूमि के खसरो में मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।	
	अपीलांट (प्रार्थी) ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 07 सपठित धारा 151 CPC का पेश कर अपीलांट की खातेदारी जमीन से होकर चलने वाले रास्ते की जमीन ख.नं. 1333 के बाबत मौके की रिपोर्ट राजस्व अधिकारी से पत्रावली में तलब किये जाने का निवेदन किया। उन्होंने बहस में यह भी अवगत कराया कि मौके पर रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा की है लिहाजा अवमानना की कार्यवाही बाबत न्यायालय हाजा में कार्यवाही संस्थित की गई है जो विचाराधीन है। प्रकरण में इस स्टेज पर मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायालय समुचित नहीं समझता क्योंकि प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाने से अनावश्यक अभिलेखीय साक्ष्य का सृजन करना है। कथनों। अभिकथनों को सिद्ध करने का भार कथनकर्ता का है और वही अपने पक्ष में साक्ष्य देने हेतु प्रतिबद्ध होता है। लिहाजा प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 151 CPC सपठित O39 R07 निरस्त किया जाता है।	
	उपरोक्त समग्र विवेचन एवं परिस्थितियों पर गहन चिंतन करने पर अपीलाधीन आदेश अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा पारित होने से काबिले निरस्त है।	
	अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दि० 22.07.2015 अपास्त किया जाता है। आदेश सुनाया गया।	
	पत्रावली कोर्ट शुमार होकर नंबर से खारिज हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटावें।	
	(हस्ताक्षर) ... प्राधिकारी जोधपुर	